

सं.ए-27023/03/2017-स्था. (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 16 ^{जुलाई} 2017

कार्यालय आपन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें- दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते से संबंधित निर्णयों का क्रियान्वयन।

दिव्यांग महिलाओं को, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उनके बच्चे छोटे और दिव्यांग हों, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं:-

- (i) दिव्यांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते के रूप में प्रतिमाह 3000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता बच्चे के जन्म से उसके दो वर्ष का होने तक देय होगा।
- (ii) यह अधिकतम दो जीवित बच्चे हेतु देय होगा।
- (iii) दिव्यांगता का अर्थ है न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाला व्यक्ति जैसा कि कल्याण मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित दिनांक 01.06.2001 की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई-1 में विस्तार से बताया गया है।
- (iv) उपर्युक्त सीमा, संशोधित वेतन संरचना में मंहगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि होने पर स्वतः 25% बढ़ जाएगी।

2. ये आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।



(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग